

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान,  
जयपुर

क्रमांक फा. 15 (7)सविरा/नियम/जनरल सेवा नियम/89 पार्ट-7

दिनांक 9-12-2015

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.06.13 द्वारा विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारियों का एक से दूसरी संस्था में सेवा हस्तान्तरण/प्रतिनियुक्ति हेतु मार्गदर्शक बिन्दु निर्धारित किए गए थे। उक्त आदेश दिनांक 06.06.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए उसके बिन्दु संख्या 12 के पश्चात् एक नया बिन्दु संख्या 13 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है:-

"संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए एक संस्था से दूसरी संस्था में सेवा हस्तांतरण संबंधी यह दिशा निर्देश दो संस्थाओं के कर्मचारियों के पारस्परिक सहमति के आधार पर परस्पर सेवा हस्तांतरण पर भी लागू होंगे।


परन्तु शर्त यह है कि पारस्परिक सहमति के आधार पर परस्पर सेवा हस्तांतरण समान केडर एवं समान वर्ग (यथा सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि) में ही किया जा सकेगा।

(डॉ. आर. वैकटेश्वरन)  
रजिस्ट्रार

क्रमांक फा. 15 (7)सविरा/नियम/जनरल सेवा नियम/89 पार्ट-7  
प्रतिलिपि:-

दिनांक

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, पंजीयक, सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर।
4. प्रबन्ध संचालक, शीर्ष संस्थाएँ (समस्त)।
5. फंक्शनल अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय (समस्त)
6. अतिरिक्त/संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ .....खण्ड (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि आप उक्त आदेश अपने कार्यक्षेत्र में स्थित समस्त सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
7. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ .....इकाई (समस्त)
8. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
9. गार्ड फत्रावली।

  
संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम)

811